

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:-284/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/284)

1. घीसालाल पुत्र भैरू
2. जगदीश पुत्र भैरू
3. रसाल पुत्री भैरू
4. गणेश पुत्र रायचंद
5. भंवरलाल पुत्र रायचंद
6. शारदा पुत्री भैरू
समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम भगवानपुरा, तहसील विजयनगर, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. हीरा पुत्र मोती, जाति जाट, निवासी ग्राम भगवानपुरा, तहसील विजयनगर, जिला अजमेर। (मृतक) जरिए वारिसान:-
1/1 सायरीदेवी पत्नि हीरा
1/2 सुरतादेवी पुत्री हीरा
1/3 देशराज पुत्र हीरा
1/4 सुमित्रा पुत्री हीरा
1/5 विमला पुत्री हीरा
1/6 रामधन पुत्र हीरा
समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील विजयनगर जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, विजयनगर जिला अजमेर।

रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.02.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा राजस्व वाद संख्या 108/2020

उपस्थित:-

1. श्री राकेश अरोडा, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री वैभव कृष्ण पारीक, अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1/1 से 1/6 .
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 02.

निर्णय

दिनांक:-03.07.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 108/2020 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.02.2021 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

[Handwritten Signature]
उपखण्ड अपील प्राधिकारी
अजमेर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 बाबत विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात गत खसरा नम्बर 1232 रकबा 6.1079 है 0 वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात रही है। वादी /रेस्पोंडेन्ट का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 06 का 3/40-3/40 व रेस्पोंडेन्ट संख्या 04 व 05 का 1/5 हिस्सा होकर पक्षकारान अपने अपने हक व हिस्से अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे हैं। उपरोक्त आराजीयात बाबत सीमा सम्बन्धित विवाद होने से पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त प्रस्तुत वाद पत्र दिनांक 15.09.2020 को दर्ज कर नोटिस जारी किये गये, जिस पर पेशी दिनांक 15.10.2020 को अपीलांटस के सम्मन लेने से इन्कार प्राप्त हुए, इसके पश्चात पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत रही है एवं दिनांक 22.10.2020 को एक अवसर प्रतिवादीगण को दिया गया तथा दिनांक 29.10.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 05.11.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश दिये गये हैं। तहसीलदार द्वारा तैयार बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 07.01.2021 को उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को प्राप्त हुआ तथा दिनांक 18.02.2021 को बंटवारा प्रस्ताव पर बहस सुनी जाकर दिनांक 25.02.2021 को अंतिम डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा वाद संख्या 108/2020, पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.02.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. अभिभाषक अपीलांटस ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस को किसी प्रकार के नोटिस प्राप्त नहीं हुए है ना ही नोटिस तामिल कराए गए हैं, एक मात्र मौके पर नोटिस लेने से इन्कार किया गया कि रिपोर्ट का अंकन कर दिनांक 05.11.2020 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है एवं इसके उपरान्त अपीलांटस को बिना नोटिस जारी किए, बिना मौके पर उपस्थित रहने हेतु पारित किए गए, मौका रिपोर्ट दिनांक 15.02.2021 को पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा निर्मित की गई है व उक्त आधार पर दिनांक 25.02.2021 को एक पक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किए गए हैं। दिनांक 25.02.2021 को मौके पर अजनबी व्यक्तियों को बुनाया जाकर मुख्य सड़क से लगती हुई आराजीयात को बैचान किये जाने की धमकी दिये जाने एवं बुवाई में रूकावट किये जाने पर अपीलांटस द्वारा आपत्ति की गई जिस पर उनके द्वारा स्वयं के पक्ष में निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2021 को पारित होने व उक्त जमीन स्वयं के हिस्से में आने बाबत धमकाया गया जिस पर अपीलांटस द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर निर्णय व डिक्री की जानकारी चाही गई। उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25.11.2021 को प्रमाणित प्रति दिये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 29.11.2021 को प्रमाणित प्रति तैयार कर अपीलांटस को प्रदान की गई। अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर जानकारी की दिनांक से अन्दर मयाद उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है जो कि जानकारी की दिनांक से अन्दर मयाद है। प्रार्थीगण/अपीलांटस गरीब एवं कानूनी जानकारी से अनभिज्ञ हैं। उपरोक्त कारणों से अपील समय अवधि में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। विधिक जानकारी होते ही अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है यदि विलम्ब को


अपील प्राधिकारी
अजमेर

क्षम्य कर गुणावगुण पर निस्तारण नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें। अभिभाषक रेस्पोंडेन्टस ने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2009 पेज 432, 2009 डी.एन.जे. (सप्रीम कोर्ट) पेज 306, 2007 आर.आर.डी. (हाई कोर्ट) पेज 311, 2009 आर.आर.टी. पेज 488 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील जवाब/बहस अपील अपीलांटस के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं के द्वारा तलबी हेतु नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित किये हैं किन्तु किसी प्रकार की तामिली जारी नहीं कर एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर अपीलांटस को उसके अधिकारों से महरूम किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री दिनांक 05.11.2020 के अनुसरण में पत्रावली में तहसीलदार को मौके पर जाकर स्वयं बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने हेतु आदेश दिये गये हैं इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा प्रारंभिक डिक्री की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार प्रस्ताव दिनांक 15.02.2021 मय राजस्व रिकार्ड की प्रतियों दिनांक 17.02.2021 को प्रेषित की गई जिस बाबत उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्व मैनुअल के नियम 18 से 21 में स्वयं मौके पर जाकर कुरेजात तैयार करने के लिए पाबंद तहसीलदार को किया है। स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये गये थे उक्त आदेश की अनुपालना के बिना दिनांक 17.02.2021 को ही तहसीलदार, बिजयनगर द्वारा यथा प्रस्तावित लिखा जाकर दिनांक 05.11.2020 को उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया गया था तथा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा स्वयं के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.11.2020 के विपरीत उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तहसीलदार, के मौके पर जाये बिना अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन नियम 18, 19, 20 व 21 की अनुपालना में किए पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित नक्शों कुरेजात को यथा प्रस्ताविक वर्णित कर प्रेषित किया गया है जिसमें मुख्य सड़क के सहारे-सहारे की आराजीयात को रेस्पोंडेन्ट के हिस्से में दर्शाया जाकर पृष्ठ भाग की आराजीयात को अपीलांटस को दिया गया है जो प्रथम दृष्टया ही न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत होने एवं पक्षकारान के हितों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस को किसी प्रकार के नोटिस प्राप्त नहीं हुए और ना ही तामिल करवाये गये तथा एक मात्र मौके पर नोटिस लेने से इन्कार किया गया, की रिपोर्ट का अंकन कर दिनांक 05.11.2020 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई एवं इसके उपरान्त अपीलांटस को बिना नोटिस जारी किये बिना मौके पर उपस्थित रहने हेतु आदेश पारित किये ही मौका रिपोर्ट दिनांक 15.02.2021 को पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा निर्मित की गई है वह उक्त आधार पर दिनांक 25.02.2021 को एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित किये गये हैं। आक्षेपित निर्णय व डिक्री की अनुसरण में हाल में निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2021 को मौके पर अजनबी व्यक्तियों को बुलाया जाकर मुख्य सड़क से लगती हुई आराजीयात को बैचान किये जाने की धमकी दिये जाने एवं बुवाई में रूकावट किये जाने पर अपीलांटस द्वारा आपत्ति की गई, जिस पर उनके द्वारा स्वयं के पक्ष में निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2021 को पारित होने एवं उक्त जमीन स्वयं के हिस्से में आने बाबत धमकाया गया जिस पर अपीलांटस को उक्त निर्णय की जानकारी हुई।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया तथा बंटवारा प्रस्ताव राजस्व मैन्यूअल नियम 18 से 21 की अवहेलना करते हुए बनाया गया है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.11.2020 निरस्त फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें एवं आज्ञापक प्रावधानों के अनुसरण में पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किये जाने के आदेश प्रदत्त करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1/1 से 1/6 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 गियाद अधिनियम में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार सभी पक्षकारान को सम्मन/नोटिस जारी किये गये थे किन्तु अपीलान्टस द्वारा नोटिस जानबूझ कर नहीं लिये गये तथा प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित रखा गया इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद एवं सद्भाविक नहीं है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।


7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1/1 से 1/6 ने दौराने जवाब/ बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोंडेंट के द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 15.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 15.10.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 06 को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए एवं प्रतिवादीगण बावजूद जानकारी के भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तथा दिनांक 22.10.2020 को भी प्रतिवादीगण उपस्थिति नहीं होने के कारण न्यायहित में उपस्थिति होने के लिए अवसर भी दिया गया था किन्तु उपस्थित नहीं हुए तत्पश्चात दिनांक 29.10.2020 को भी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 हाजिर नहीं हुए तथा उन्हें बार बार आवाजें दिलाई गई किन्तु अनुपस्थित होने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही में अमल में लाई गई। तत्पश्चात दिनांक 05.11.2020 को प्रकरण में बहस सुनी जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा अभिभाषक अपीलान्टस द्वारा यह उच्च उठाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को विधिवत् रूप से नोटिस जारी किये गये थे तथा पत्रावली में सलंगन नोटिस में प्रतिवादीगण द्वारा लेने से इन्कार किया गया तथा तामील कुलिन्दा द्वारा दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाये गये, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण बंटवारा नहीं करवाने हेतु तत्पर है तथा जानबूझ कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड/जमाबंदी के अनुसार हिस्से के बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु विधिवत् रूप से प्राथमिक डिक्री जारी की है जो विधि सम्मत है तथा प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में तहसीलदार, बिजयनगर को बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया तथा तहसीलदार, बिजयनगर द्वारा राजस्व मैन्यूअल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा विधिवत् रूप से सुनवाई की जाकर अंतिम डिक्री जारी की गई, जो विधि सम्मत है जिसमें

किस्ती प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।


8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। न्यायहित में प्रार्थीगण का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।
9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष वादी/रेस्पोंडेंट के द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 15.09.2020 को दर्ज रजिस्टर कर, प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये थे। दिनांक 15.10.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 06 को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा नोटिस/सम्मन लेने से इन्कार का कथन किया तथा नोटिस की पुश्त पर दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर सहित प्राप्त हुए जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलग्न है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण/अपीलांटस को वाद की जानकारी होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होकर अपने अधिकारों के प्रति लापरवाह रहें तथा यदि उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई तो वे उक्त एक पक्षीय आदेश/कार्यवाही के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर, सीधे तौर अपील प्रस्तुत की गई है। जहाँ तक अपीलांटस के साक्ष्य व सुनवाई का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य भी सामने आते है कि दिनांक 15.10.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 06 को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए एवं प्रतिवादीगण बावजूद जानकारी के भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तथा दिनांक 22.10.2020 को भी प्रतिवादीगण उपस्थिति नहीं होने के कारण न्यायहित में उपस्थिति होने के लिए अवसर भी दिया गया था किन्तु उपस्थित नहीं हुए तत्पश्चात दिनांक 29.10.2020 को भी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 हाजिर नहीं हुए तथा प्रतिवादीगण/अपीलांटस को बार बार आवाजें दिलाई गई किन्तु अनुपस्थित होने के कारण उनके विरुद्ध विधिवत रूप से एक पक्षीय कार्यवाही में अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों का वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार नियम 18 से 21 की अनुपालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव मंगाने के आदेश दिये गये है तथा प्राथमिक डिक्री में अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही प्राथमिक डिक्री जारी की है, जिसमें किसी भी पक्षकारान का हिस्सा कम/ ज्यादा नहीं किया गया है। अपीलांटस अपनी अपील में यह भी बताने में असफल रहा है कि वे प्राथमिक डिक्री से किस प्रकार व्यथित है तथा अपीलांटस का यह भी तर्क है कि निर्णय विना तनकीयात कायम किये पारित किया गया है जबकि पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांटस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया था किन्तु प्रतिवादीगण उपस्थिति नहीं हुए तथा ना ही जवाब प्रस्तुत किया अतः जवाब के अभाव में तनकीयात कायम किया जाना संभव नहीं था इसलिए अपीलांट का यह तर्क भी सारहीन है। पत्रावली

के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार, विजयनगर को बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किया गया था, जिस पर तहसीलदार, विजयनगर द्वारा राजस्व मैनुअल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए मौका पर्चा मुर्तिब किया गया तथा दिनांक 04.01.2021 को बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव में रास्ते का अंकन भी किया गया है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव विधिक रूप से मुर्तिब कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही अंतिम डिक्री जारी की है, जिसमें किसी भी पक्षकारान का हिस्सा कम/ ज्यादा नहीं किया गया है। अपीलांटस यह बताने में असफल रहा है कि वे अंतिम डिक्री से किस प्रकार व्यथित है। उपरोक्त अनुसार अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में किये गये कथन सारहीन है तथा अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज एवं विधिक त्रुटि साबित नहीं कर पायें। अपील अपीलांटस खारिज की जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 108/2020 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.02.2021 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 03.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर